प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/10/25	...दला पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा। ...प्रस्तुत अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौर मे तशरीफ रखते है। ...कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ...आईन्दा कार्यवाही हेतु दिनांक 26/11/25 को पेश हो। अप्रार्थी से. 1 लगा. 3 की ओर से जवाब प्रा. पत्र पेश किया।
26/11/25.	वकुलाय. उप. / पत्रावली वास्ते बहस दि० 7/1/26 को पेश हो।
7/1/26	बहस सुनी गई। बहस वकुलाए उप. / बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं प्रा.पत्र मे उपलब्ध उभय पक्ष पर मनन करने एवं प्रा.पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन प्रा० पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को तारीख... वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकार वाद वर्णित आराजी मे रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिस[illegible] नं0 17[illegible]प्रा0पत्र/2024 — तारीख दायरा 08.05.2024 — तारीख फैसला 07.01.2026

1. अजिन्ता आयु 31 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
2. धापू आयु 28 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
3. भूली आयु 35 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
4. मांगीबाई आयु 52 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
5. लीलाबाई आयु 49 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
6. शारदा आंयु 42 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
7. सीमा आयु 38 वर्ष पुत्री श्री गोकुल जी जाति धाकड़
8. सरजू बाई उम्र 72 वर्ष पत्नी स्व0 गोकुल जाति धाकड निवासीगण ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजकुमार आयु 34 वर्ष आ0 श्री जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तालेडा जिला बूंदी।
2. राधेश्याम उम्र 29 वर्ष आ0 श्री जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल निवासी इन्द्रा कोलोनी पुराना माटून्दा रोड बून्दी ।
3. रामलाल उम्र 44 वर्ष आ0 श्री जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल निवासी इन्द्रा कोलोनी पुराना माटून्दा रोड बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जर्ये भूमिधारी तहसीलदार सा0 तालेडा जिला बूंदी।
5. राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार (उपपंजीयक) सा0 डाबी जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री बृजमोहन गौतम
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः– श्री अखिलेश जैन

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी जमाबन्दी सं0 62 नई एवं पुरानी 62 की कृषि भूमि खसरा नं0 25 रकबा 1.7401 हैक्टेयर, खसरा सं0 62 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा सं0 317/170 रकबा 0.9712 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.2131 हैक्टेयर वाके ग्राम देवगढ पटवार हल्का गोपालपुरा भू0अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी में स्थित है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/16– 1/16 हिस्सा निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 निहित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियाँ प्रार्थी सं0 1 लगायत 7 एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का पक्षकारान् के मध्य विधिवत रूप से बटवारा नही हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर पक्षकारान् आपसी सहमति से खसरा सं0 25 रकबा 1.7401 हैक्टेयर की भूमि पर प्रार्थीगण खसरा सं0 25 के उत्तर दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 358/27, 359/27 की ओर काबिज काश्त है एवं खसरा नंबर 62 रकबा 0.5018 हैक्टेयर की भूमि पर प्रार्थीगण पूर्व की ओर खसरा सं0 288/16 के समीप काबिज काश्त है एवं खसरा सं0 317/170 रकबा 0.9712 हैक्टेयर की भूमि पर खसरा सं0 318/170 हैक्टेयर पर उत्तरी ओर काबिज काश्त होकर निरन्तर, निर्बाध रूप से काश्तकारी करते, फसल बोते व काटते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त वाद विषयक कृषि भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाकर अपने हिस्से में आने वाली कृषि भूमियो को पृथक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 अपने–अपने निहित हिस्से पर आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का

स्वरूप परिवर्तन करने के दुरूउद्धेश्य से भूमि पर अन्य खनन व्यवसाय करने वाले व्यक्तियो को लाकर भूमि पर कोर बोर लगाने पर आमादा है एवं उक्त संयुक्त कृषि भूमि जिस पर प्रत्येक इंच इंच भूमि पर प्रार्थीगण का भी हक अधिकार निहित है उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा करवाये ही भूमि को खनन व्यवसाय करने वाले व्यक्तियो को दिखाकर भूमि को बैचान करने पर आमादा है। यहाँ यह विदित है कि उक्त भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार है तथा अप्रार्थीगण यदि उक्त भूमि को बैचान करना चाहते है तो प्रार्थीगण उक्त भूमि को खरीद करने के लिए तैयार है अप्रार्थीगण सर्वप्रथम सहखातेदारी की भूमि को प्रार्थीगण द्वारा क्रय करने के लिए तैयार होने से सर्वप्रथम अग्रक्रय अधिकार के तहत प्रार्थीगण उक्त भूमि को बाजार दर से खरीदने के लिए तैयार होने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के अलावा अन्य व्यक्तियो को भूमि का बैचान नही कर सकते है एवं न ही व्यक्ति को कब्जाधारण करा सकते हैं। क्योकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। इस कारण अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को अग्रक्रय अधिकार अनुसार प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियो को बैचान नही करे एवं बिना विधिक बंटवारा करवाये बैचान/अन्तरण नही करे। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के संयुक्त खाते में दर्ज रहने से प्रार्थीगण को लगान–पिलाई जमा करवाने एवं कृषि भूमि का विकास करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है व कई बार तो विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमियो में से जहाँ पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है उन्हीं कृषि भूमियो को बटवारे में प्राप्त कर पृथक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियो का बंटवारा करवाकर पृथक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 यदि उक्त भूमियों को बैचान करना चाहे तो अग्रक्रय के अधिकार के तहत प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को बैचान नही करे व प्रार्थीगण भी उक्त भूमि को खरीद करने को तैयार है। इस हेतु कई बार मौखिक रूप से कहा लेकिन अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 उक्त भूमि का बंटवारा करवाने व प्रार्थीगण को बाजार दर के अनुसार बैचान करने के लिए तैयार नही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20–04–2024 को अन्तिम बार अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 से प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि का बटवाराँ करवाकर अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमियो को पृथक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में कब्जे अनुसार स्वतंत्र रूप से अंकित करवाने एवं यदि अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को बैचान करना चाहते है तो प्रार्थीगण को ही बैचान करने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा बटवारा करने व प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बैचान करने से साफ इन्कार कर दिया एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी की हम तो संयुक्त खातेदारी की उक्त कृषि भूमि का बिना बंटवारा करवाये ही उक्त भूमि पर कोर बोर लगायेगे एवं खनन कार्य करेगे एवं कृषि भूमि का स्वरूप बिगाडेंगे भूमि को अकृषि प्रयोजन मे काम में लेगे एवं उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को बैचान करेगे एवं भूमि के बैचान का विक्रय पत्र अन्य व्यक्तियो के नाम पंजीयन करवायेगे एवं अन्य व्यक्तियो के खाते में दर्ज करवायेगे। यही वाद उत्पत्ति का कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये की वह प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि खतोनी जमाबन्दी सं0 62 नई एवं पुरानी 62 की कृषि भूमि खसरा नं0 25 रकबा 1.7401 हैक्टेयर, खसरा सं0 317/170 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा सं0 62 रकबा 0.5018 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.2131 हैक्टेयर वाके ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गोपालपुरा भू0अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र डाबी तहसील तालेड़ा जिला बूंदी को अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये सयुक्त खातेदारी की भूमि को अन्य व्यक्तियो को बैचान नही करे, विक्रय पत्र का पंजीयन नही करवाये, राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नही करे कब्जा धारण नही करवाये एवं अप्रार्थीगण अग्रक्रय अधिकार के तहत यदि भूमि का बैचान करे तो प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को भूमि का बैचान नही करे, कब्जा धारण नही करवाये एवं विक्रय पत्र का पंजीयन नही करे एवं अप्रार्थी सं0 5 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये की वह अप्रार्थीगण सं0 1 लंगायत 3 द्वारा प्रस्तुत हस्तांतरण विलेख का बिंना बंटवारा कराये एवं प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के पक्ष में पंजीयन नही करे राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नही करे नामान्तकरण दर्ज नही करे तथा वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियो का बटवारा करवाया जाकर जो भूमि कब्जे अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में आये, उस भूमि को पृथक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज की जावे एवं अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण को बंटवारे में दी जावे। वाद के विचारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि को बिना बंटवारा करवाये ही उक्त कृषि भूमि को बेचान व हस्तान्तरित कर देगे एवं भूमि पर कोर बोर लगा देगे एवं खनन कार्य करने हेतु भूमि की झडाई कर देगे एवं भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम मे ले लेगे एवं अग्रक्रय अधिकार के तहत संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को बैचान कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया एवं अन्य व्यक्ति को भूमि पर कब्जा धारण करवा दिया जावेगा। जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी एवं प्रार्थीगण की भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने से भूमि की किस्म परिवर्तन हो जावेगी एवं अप्रार्थीगण सं0 1

3 द्वारा बिना बटवारा करवाये प्रस्तुत हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन अप्रार्थी सं0 5 कर देगे एंव अप्रार्थी सं0
4 राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन कर देगे। जिससे प्रार्थीगण का दावा प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। सुविधा का
सन्तुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है
कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की
जावे कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वह प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 में
वर्णित कृषि भूमि खतोनी जमाबन्दी सं0 62 नई एवं पुरानी 62 की कृषि भूमि खसरा नं0 25 रकबा 1.7401 हैक्टेयर,
खसरा सं0 317/170 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा सं0 62 रकबा 0.5018 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.
2131 हैक्टेयर वाके ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गोपालपुरा भू0अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी
को अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये संयुक्त खातेदारी की भूमि को अन्य व्यक्तियो को बेचान नही करे,
विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करवाये, राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नही करे , कब्जा धारण नही करवाये एवं
अप्रार्थीगण अग्रक्रय अधिकार के तहत यदि भूमि का बेचान करे तो प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को भूमि का
बेचान नहीं करे, कब्जा धारण नहीं करवाये एवं विक्रय पत्र का पंजीयन नही करे। अप्रार्थी सं0 4 व 5 को भी
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत हस्तातरण विलेख का
बिना बटवारा कराये एवं प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के पक्ष में पंजीयन नही करे , राजस्व रिकोर्ड में
परिवर्तन नही करे नामान्तकरण दर्ज नही करे।

प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक
पाबंद कर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयीं। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे
वर्णित तथ्य में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वाके ग्राम
देवगढ़ पटवार हल्का गोपालपुरा मे कृषि भूमि विस्थित होना स्वीकार है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज है और
अप्रार्थीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्सानुसार काबिज होकर कास्त
कर रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का विधिक रूप से बंटवारा नही हुआ है। मौके पर
कब्जे व राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण बंटवारा कराने के लिए तैयार है। अनुमानित बाजार
मुल्य से प्रार्थीगण यदि अप्रार्थीगण के निहित हिस्से 1/6, 1/6 को क्रय करना चाहते है तो बाजार मुल्य राशि का
भुगतान अप्रार्थीगण को करें तों अप्रार्थीगण बेचान करने को तैयार है लेकिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि को कम
दाम में क्रय करना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को काई हक व अधिकार नही है । अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित
कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से को किसी को भी जो बाजार मुल्य में क्रय करना चाहते है तो उनको रहन व बेचान
करने के लिए स्वतन्त्र है। अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे निहित हिस्से को बेचान नहीं करना चाहते है ।
किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य संभावना के आधार पर अंकित
किये है जो निराधार व मिथ्या है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे निहित अपने हिस्से को बेचान कर रहै है प्रार्थीगण
के हिस्से को बेचान नहीं कर रहै है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरर्णीय क्षति नहीं होगी। प्रार्थना
पत्र की प्रार्थना मे केवल विधिवत बंटवारा राजस्व रिकार्ड मे हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार मौके की रिपोर्ट
मंगवाकर विधिवत बंटवारा कराने के आदेश फरमावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयीं। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये
निवेदन किया कि वाद के विचारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण संख्या 1
लगायत 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 प्रार्थना पत्र की चरण
सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि को बिना बंटवारा करवाये ही उक्त कृषि भूमि को बेचान व हस्तान्तरित कर देगे एवं भूमि
पर कोर बोर लगा देगे एवं खनन कार्य करने हेतु भूमि की झडाई कर देगे एवं भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम मे
ले लेगे एवं अग्रक्रय अधिकार के तहत संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को बेचान कर विक्रय
पत्र का पंजीयन करवा दिया एवं अन्य व्यक्ति को भूमि पर कब्जा धारण करवा दिया जावेगा। जिससे प्रार्थीगण को
ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी एवं प्रार्थीगण की भूमि पर अकृषि
प्रयोजनार्थ काम में लेने से भूमि की किस्म परिवर्तन हो जावेगी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 द्वारा बिना बंटवारा
करवाये प्रस्तुत हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन अप्रार्थी सं0 5 कर देगे एंव अप्रार्थी सं0 4 राजस्व रिकोर्ड में
परिवर्तन कर देगे। जिससे प्रार्थीगण का दावा प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। अतः अप्रार्थीगण को
ताफेसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का कब्जे व राजस्व रिकार्ड मे निहित हिस्से अनुसार मौके की रिपोर्ट मंगवाकर विधिवत बंटवारा कराने हेतु तैयार है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे निहित अपने हिस्से को बेचान कर रहे है प्रार्थीगण के हिस्से को बेचान नही कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णिय क्षति नहीं होगी। अनुमानित बाजार मुल्य से प्रार्थीगण यदि अप्रार्थीगण के निहित हिस्से 1/6, 1/6 को क्रय करना चाहते है तो बाजार मुल्य राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करें तों अप्रार्थीगण बेचान करने को तैयार है लेकिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि को कम दाम में क्रय करना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को काई हक व अधिकार नही है । अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से को किसी को भी जो बाजार मुल्य में क्रय करना चाहते है तो उनको रहन व बैचान करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थीगण उक्त वाद के माध्यम से अप्रार्थीगण की भूमि को जबरन क्रय करने एवं हडपने हेतु आमादा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर पक्षकार अपने कथनानुसार जमाबन्दी में वर्णित हिस्सानुसार काबिज काश्त है। पक्षकारों के मध्य वाद वर्णित आराजी में अपने हिस्से को बैचान करने हेतु विवाद बना हुआ है। किन्तु वाद वर्णित आराजी का विधिवत बंटवारा नही होने से पक्षकारों के मध्य बैचान को लेकर उक्त विवाद उत्पन्न हुआ है। वाद वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से उक्त भूमि के प्रत्येक भाग पर सभी खातेदारों का हिस्सानुसार हक अधिकार होने से बिना विधिवत बंटवारा किये खातेदारों के मध्य विवाद होने से भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण इत्यादि किये जाने पर पक्षकारों के मध्य विवाद बढने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये पक्षकारों को मूलवाद के निस्तारण तक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेगें। वाद वर्णित आराजी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नही करे। रहन बय अथवा हस्तान्तरण न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा